न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 48/2012
CIS No. :– T.S./529/2018

हीरालाल साह अन्य **बनाम्** प्रमोद कुमार पाण्डेय एवं अन्य

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
07.12.2021	अभिलेख पेश हुई। पुकार करायी गयी। पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2021 आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–8 सुदामा देवी की मृत्यु दिनांक 05.01.2018 को हो गयी है। उनके विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की याचना किया है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गयी है। सुना एंव अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र समयावधि के अन्दर दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र व धारा–5 परिसीमा अधिनियम से समर्थित है। अत: मात्र विलम्ब के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। न्यायहित में विलम्ब माफ कर वाद के अग्रसारण हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक–03.03.2021 हर्जे के साथ स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2021 मु० 200/- हर्जे के साथ स्वीकार किया जाता है। वादपत्र में वांछित संशोधन/प्रतिस्थापना विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर करें। अभिलेख वास्ते अग्रिम कार्यवाही/प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु दिनांक–16.12.2021 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्यायालय कक्ष–4, नरकटियागंज।	